न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)

वाद संख्या :— 02 / 31 / 2016

<u>कालू बनाम फूली वगैरा</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 26.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 11.03.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1002 / 0.17, 1003 / 0.35, 1005 / 0.31, 1007 / 0.44 है. वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 16.05.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2067—70 खाता संख्या 263 वाके घाटडा के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित के प्रार्थीगण खातेदार दर्ज है। प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण की खातेदारी साबित नहीं है इसलिए प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति न होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1002 / 0.17, 1003 / 0.35, 1005 / 0.31, 1007 / 0.44 है. वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 11.03.2016 दावे के निस्तारण तक ताफैसला स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट टोडाजयसिंहपुरा)

सत्यमेव जयते Web Copy Not Official